

**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 2968**  
**07.08.2023 को उत्तर के लिए**

**बार माउथ परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी**

**2968. डॉ. के. जयकुमार :**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए विभिन्न समूहों और एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय लेने में अत्यधिक विलंब होता है;
- (ख) वर्ष 2014 से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में एक निजी कंपनी के तिरुवल्लूर स्थित बंदरगाह को बहुत कम समय में मंजूरी दे दी है;
- (घ) क्या पुलीकट झील में गरीब मछुआरों की सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार के मात्स्यिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत बार माउथ परियोजना (पानी के एक मार्ग को बनाए रखने के लिए समानांतर 20 मीटर लंबाई की दीवारों के दो टुकड़ों का निर्माण) सरकार के पास लंबित है; और
- (ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त परियोजना को सरकार से कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**

**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) और (ख): मंत्रालय ने 10 अगस्त, 2018 को सिंगल विंडो ऑनलाइन 'परिवेश' (प्रो-एक्टिव एंड रिस्पॉसिव फेसिलिटेशन बाई इंटर एक्टिव, वर्चुअस एंड एनवायरनमेंटल सिंगल विंडो हब) पोर्टल शुरू किया है जो पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए आवेदन जमा करने से लेकर कार्यसूची तैयार करने, कार्यवृत्त तैयार करने तक पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की संपूर्ण प्रक्रिया को स्वचालित करता है। ईसी प्रक्रिया को सुग्राही बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के कारण, पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने में लगने वाला पूरा समय ईआईए अधिसूचना, 2006 में निर्धारित अधिकतम 105 दिनों की तुलना में वर्ष 2022 में कम होकर 64 दिन हो गया है। परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 से अभी तक पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करने हेतु कुल 6129 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4122 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है।

(ग): मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 03.07.2009 द्वारा कट्टुपल्ली, तमिलनाडु में मौजूद पत्तन हेतु पर्यावरणीय और सीआरजेड मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, पत्र दिनांक 15.10.2019 द्वारा पत्तन

विस्तार परियोजना के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) प्रदान किया गया था। मंत्रालय को ईसी प्रदान करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ड.): मै. मात्स्यकी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 14.02.2022 द्वारा पुलिकट गांव, थिरुवल्लूर, तमिलनाडु में बार माउथ की स्थायी स्थिरता के लिए ट्रेनिंग-वॉल के निर्माण की परियोजना हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।

\*\*\*\*\*